रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/फाल्गुन 10, 1940
No. 82] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/PHALGUNA 10, 1940

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टॉफ जैसे पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्मिकों की नियुक्ति के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और न्यूनतम अर्हताएं तथा तकनीकी शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए उपायों पर अभातशिप (डिग्री) विनियम, 2019

फा. सं. 61–1/आरआईएफडी/7वां सीपीसी/2016–17.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10(छ), (ज) और (झ) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार द्वारा सं. 1–37/2016–टीएस II दिनांक 18 जनवरी 2019 और पश्चात्वर्ती समसंख्यक पत्र दिनांक 29 जनवरी, 2019 और 12 फरवरी, 2019 द्वारा दिए गए अनुमोदन के पश्चात्, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :

1.0 संक्षिप्त नाम, प्रयोजनीयता और प्रारंभ :

1.1 संक्षिप्त नाम :

इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टॉफ जैसे पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्मिकों की नियुक्ति के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और न्यूनतम अर्हताएं तथा तकनीकी शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए उपाय–(डिग्री) विनियम, 2019 है।

1.2 उन संस्थाओं की श्रेणी जिन पर विनियम लागू होते हैं

ये ऐसी प्रत्येक डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्था और विश्वविद्यालय जिसमें मानित विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, पर लागू होंगे जो तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तथा अभातशिप द्वारा अनुमोदित अन्य पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों और परिषद् द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित विषय–क्षेत्रों को संचालित कर रहे हैं।

1.3 प्रभावी होने की तारीख :

क) **वेतन मान और महंगाई भत्ता (डी.ए.)** : संशोधित वेतन–मान दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होंगे।

ख) **अन्य भत्ते** : भत्ते जैसे अवकाश यात्रा रियायत, विशेष प्रतिकर भत्ता, बालक शिक्षा भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, गृह निर्माण भत्ता, यात्रा भत्ता आदि उस तारीख से लागू होंगे जैसा केंद्रीय सरकार/संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए।

5.0 भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता

संकाय सदस्यों की सीधी भर्ती और प्रोन्नतियों के विभिन्न लेवलों के लिए न्यूनतम अर्हता, अनुभव, शोध योगदान, प्रतिपुष्टि और अपेक्षित प्रशिक्षण अपेक्षाएं इस प्रकार हैं :

5.1 सहायक प्रोफेसर (लेवल–10, प्रवेश वेतन 57700/–) के रूप में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं

(क) इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी :

प्रासंगिक शाखा में बी.ई./बी.टेक./बी.एस. और एम.ई./एम.टेक./एम.एम. अथवा एकीकृत एम.टेक जिसमें से किसी भी एक डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो।

(ख) प्रबंधन :

किसी विषय क्षेत्र में स्नातक डिग्री तथा व्यवसाय प्रशासन/पीजीडीएम/सी.ए./आईसीडब्ल्यूए/एम.कॉम में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष निष्णात डिग्री तथा निष्णात डिग्री प्राप्त करने के उपरांत दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।

(ग) भेषजी :

प्रासंगिक विशेषज्ञता में बी.फार्मा. और एम.फार्मा जिसमें दोनों डिग्रियों में से किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो।

(घ) एमसीए :

प्रासंगिक शाखा में बी.ई./बी.टैक./बी.एस. और एम.ई/एम.टैक/एम.एस अथवा एकीकृत एम.टैक जिसमें से किसी एक डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो।

अथवा

बी.ई, बी.टैक. और एमसीए जिसमें से दोनों डिग्रियों में किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो।

अथवा

एक अनिवार्य विषय के रूप में गणित के साथ तीन वर्ष की अवधि का स्नातक और प्रथम श्रेणी की एमसीए डिग्री अथवा समकक्ष हो और एमसीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद दो वर्ष का प्रासंगिक अनुभव

(ङ) होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी :

होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी) में न्यूनतम 4 वर्षीय स्नातक डिग्री और एचएमसीटी अथवा प्रासंगिक विषय क्षेत्र में निष्णात डिग्री जिसमें से दोनों डिग्रियों में किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष।

अथवा

होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी) में न्यूनतम 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष में तथा किसी 4–सितारा होटल में सहायक प्रबंधक से अन्यून प्रबंधकीय स्तर अथवा आतिथ्य सत्कार उद्योग/पर्यटन उद्योग में किसी समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव।

(च) वास्तुकला :

बी.आर्क. और एम. आर्क अथवा किसी संबद्ध क्षेत्र में समकक्ष निष्णात डिग्री जिसमें दोनों डिग्रियों में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो, तथा वास्तुकला व्यवसाय में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव।

अथवा

बी.आर्क प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ तथा वास्तुकला व्यवसाय में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।

(छ) नगर आयोजना :

वास्तुकला/आयोजना/सिविल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री अथवा भूगोल/अर्थशास्त्र/सामाजिक विज्ञान में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष

और

आयोजना में निष्णात अथवा समकक्ष जिसमें से या तो आयोजना निष्णात में अथवा उपरोक्त डिग्री में से दोनों डिग्रियों में किसी एक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो तथा दो वर्ष का प्रासंगिक अनुभव हो।

(ज) डिजाइन :

स्नातक डिग्री अथवा डिजाईन, ललित कला, अनुप्रयुक्त कला और वास्तुकला की शाखाओं में से किसी एक में न्यूनतम 4 वर्षीय डिप्लोमा अथवा प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ इंजीनियरी में स्नातक डिग्री